न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 92/15 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस सख्या :– 2015/00246

उनवान

1. जगन पुत्र नथुआ
2. राजीव पुत्र मोहन सिंह
3. माया पत्नी मोहन सिंह

} जाति जाटव निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहनी उर्फ केशन्ती पुत्री जगन पत्नी गोविन्द जाति जाटव निवासी बैलारा हाल ग्राम महाल तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
3. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरवीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दि0 21.07.2015 मि.नं. 242/06 उनवानी मोहनी बनाम जगन आदि।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कवई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है, जो वादी रैस्पो0 को उनके बाबा नथुआ से उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुयी है। विवादित आराजी नथुआ की खातेदारी की आराजी थी। जिनका देहान्त करीब 25 साल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पूर्व हो चुका है। नथुआ की मृत्यु के बाद विवादित आराजी उत्तराधिकार से जगन के नाम दर्ज हुयी। वादी/रैस्पो0 जगन की पुत्री है। जिसके विवादित आराजी में जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में वादी रैस्पो0 के हक को मानने से इंकार करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में स्वयं को 1/3 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल निरस्तनीय हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है। जिसका उसने अपने होस हवास में अपने नवासे अपीलाण्ट संख्या 02 के हक में दिनांक 13.10.2006 को पंजीकृत दान पत्र निस्पादित कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी का अपीलाण्ट संख्या 02 खातेदार काश्तकार काबिज हुआ। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में दान पत्र को चुनौती दी गयी है। जबकि दान पत्र को चुनौती देने या नल एण्ड वोइड करने या निरस्त कराने का अधिकार क्षेत्र केवल दीवानी न्यायालय को है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 05 का निर्णय रैस्पो0 के पक्ष में पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति ना होकर स्वः पैदा कर्दा सम्पत्ति है। यह है कि जो संशोधन 2005 में पुत्रियो के संबंध में कोपार्सनर होने का प्रभाव में आया है वह भी रैस्पो0 को कोई लाभ नहीं पहुँचाता है। क्याकि उक्त संशोधन के बाद पेश होने वाली पुत्रियॉ ही सहभागीदार मानी जावेगी। इस प्रकार रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं है। रैस्पो0 को सर्वप्रथम दान पत्र को निरस्त कराना चाहिये था, जो नहीं कराया है। रैस्पो0 अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य भी नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान रैस्पो0 अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो अपीलाण्ट संख्या 01 को उनके पिता व रैस्पो0 के बाबा नथुआ से उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है। नथुआ का एक मात्र पुत्र अपीलाण्ट संख्या 01 व दो पुत्रियॉ अपीलाण्ट संख्या 03 व रैस्पो0 संख्या 01 थे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट संख्या 01 ने बनावटी दान पत्र अपनी दूसरी पुत्री माया के पुत्र राजीव अपीलाण्ट संख्या 02 के नाम कर दी। जबकि रैस्पो0 को विवादित आराजी में जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल हैं। रैस्पो0 जगन की पुत्री है उक्त तथ्य को अपीलांट स्वयं स्वीकारते हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी स्वः पैदा कर्ता आराजी हो। रैस्पो0 का दावा घोषणा का है एवं विवादित आराजी कृषि भूमि है। जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट स्वयं रैस्पो0 को अपनी पुत्री होना स्वीकारते हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट संख्या 01 जगन को उनके पिता नथुआ से इन्तकाल संख्या 222 से विरासत में प्राप्त हुयी है तथा जमाबन्दी संवत 2028 में विवादित आराजी साविक नथुआ की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी स्पष्ट रूप से पैतृक आराजी होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पैतृक आराजी प्रमाणित ना होती हो। अब प्रश्न आता है कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 (दिनांक 9.9.2005 को यथासंशोधित) सह–दायिकी सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार, विगत प्रभावी है या नहीं। इस बिन्दु बाबत् अभिभाष रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2020(2) पेज 998 हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में, पुत्र के समान पुत्री भी सम्पत्ति में सहदायी हैं व पुत्र के समान पुत्री भी समान अधिकार व दायित्व रखती है। पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य सवंमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती हैं एवं इस हेतु दिनांक 09.09.2005 को पिता का जीवित होना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि सहदायिकी सम्पत्ति में अधिकार जन्म से है। इसके अलावा हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि दान पत्र को चुनौती देने या नल एण्ड वोइड करने या निरस्त कराने का अधिकार क्षेत्र केवल दीवानी न्यायालय को है। हम पाते हैं कि वादिया/रैस्पो0 द्वारा, वाद में मुख्य अनुतोष विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा का चाहा है ना कि दानपत्र को निरस्त कराने का। साथ ही अपने वाद पत्र में दानपत्र को अपने हिस्से तक वातिल व बेअसर घोषित करने का आनुषांगिक अनुतोष चाहा है। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है एवं कृषि भूमि बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा के दावा को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकरण में गठित सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2015 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.12.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर